रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –21 ● कानपुर 1 से 15 नवम्बर 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

I.D.C. द्वारा वांछित की पूर्ति हेतु गतिविधियाँ चरम पर

- प्रारम्भिक परीक्षण में ख़ारिज प्रपोज़लकर्ताओं को भी मिला अवसर
- वैज्ञानिक आधार पर कार्य के आकड़ों की जानकारी अनिवार्य
- डिग्री जारी करना माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना के साथ–साथ भारत सरकार के आदेश का भी उल्लंघन
- बोर्ड एवं इहमाई ने भी कई कमेटियों का कर दिया गठन
- आई0डी0सी0 ने स्पष्ट किया इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई रोक नहीं
- राज्य सरकारें अपने राज्यों में इसके लिए कानून बना सकती हैं
- यूरोप से मिली जानकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में सहायक होगी

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता जांचने हेतु एक **Interdepartmental Committee** का गठन किया गया था जिसने जांच हेतु कुछ बिन्दु निर्धारित किये थे, जिसकी पूर्ति हेतु कुछ समय सीमा भी निर्धारित की गयी थी, निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं द्वारा बड़ी संख्या में प्रपोज़ल प्रस्तुत किये गये जिनके प्रारम्भिक परीक्षण में ही अनेकों प्रपोज़ल बाहर कर दिये गये, जो प्रपोज़ल शेष रहे उन पर विचार हेतु 9 जनवरी, 2018 को **Interdepartmental Committee** की बैठक आयोजित की गयी जिसमें मान्यता के प्रपोज़लों की जांच की गयी जिसके द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैज्ञानिक आधार पर, कार्य के आकड़ों की जानकारी अनिवार्य हो गयी है।

Interdepartmental Committee ने **B.E.M.S.** कोर्स के संचालन एवं डिग्री प्रमाणपत्र पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है जबकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 नवम्बर, 1998 को ही डिग्री न देने के निर्देश दिये थे, डिग्री जारी करना माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना के साथ साथ भारत सरकार के आदेश दिनांक 25–11–2003 का भी उल्लघंन माना जाये, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) द्वारा डा0 बी0 एम0 कटोच पूर्व स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित इन्टरडिपार्ट– मेन्टल कमेटी की 27 मई, 2019 की संस्तुतियों को 3 जुलाई, 2019 को सरकार द्वारा जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई रोक नहीं है तथा राज्य सरकारें अपने राज्यों में इसके लिए कानून बना सकती हैं उन्होंने यह भी कहा है कि मापदण्ड पूरे होने पर केन्द्र सरकार इसे मान्यता प्रदान कर देगी, इस बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों ने प्रपोज़लकर्ताओं को सुनने के पश्चात अपनी जो टिप्पणियां कीं वह पूर्ण रूपेण सकारात्मक हैं, इस कमेटी के कुछ सदस्यों ने जहां अनुसंधान हेतु धनराशि की बात कही है वहीं कुछ सदस्यों ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को अपने संस्थानों में काम का अवसर देने की बात कही है जिससे वांछित आंकड़े स्वतः उपलब्ध हो जायेंगे, इन्हीं मापदण्डों को पूरा करने के लिए कई शीर्ष संस्थायें अपने अपने स्तर से लग गयी हैं और इन संस्थाओं की गतिविधियां चरम पर हैं कोई संस्था अपने चिकित्सकीय आकड़े एकत्र कर रही है तो कोई संस्था साहित्य सृजन पर लग गयी हैं तो किसी संस्था ने औषधियों के सम्बन्ध में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है यहां भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की एक मात्र शैक्षिक शीर्ष संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने भी **Interdepartmental Committee** द्वारा वांछित की पूर्ति करने हेतु अपनी गतिविधि तेज़ कर दी हैं वैसे तो बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर दिया है और इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिये हैं अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने कई कमेटियों का गठन भी कर दिया है और पहले से ही कार्य कर रही है ज्ञातव्य हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के अनुरोध पर ही भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए 21 जून, 2011 को आदेश जारी किया था इसलिए एसोसिएशन पूरे देश में साहित्य सृजन, बोर्डों/काउन्सिलों, औषधि निर्माताओं आदि से लगातर सम्पर्क कर वांछित की पूर्ति करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने में अपना भरसक प्रयास कर रही है, एसोएिसशन के पदाधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं हाल ही में दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली में इन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा की गयी जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष डा0 एम0 एच0 इदरीसी महासचिव डा0 इदरीस खान तथा संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार मिश्रा आदि उपस्थित थे, **Interdepartmental Committee** द्वारा प्रपोज़लकर्ताओं को यह भी सुझाव दिया गया था कि प्रपोज़लकर्ता एक संयुक्त प्रपोज़ल प्रस्तुत करें जिसमें सभी उनको अधिकृत किया है कि वांछित की पूर्ति हेतु अविलम्ब लग जायें तथा कमेटी को अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें।

आपको यह बताना अनुचित न होगा कि **Interdepartmental Committee** द्वारा वांछित की पूर्ति के सम्बन्ध में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया बहुत प्रपोज़लकर्ताओं को सम्मिलित कर लिया जाये और इस हेतु किसी एक व्यक्ति को अग्रणी एवं एक पता पत्र व्यवहार हेतु दिया जाये जिससे प्रकरण पर उस नामित व्यक्ति से कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्धारित पते पर सूचनायें उपलब्ध करायी जा सकें प्रपोज़लों की समानता को देखते हुए समिति ने यह भी सुझाव दिया कि संयुक्त संशोधित प्रपोज़ल तैयार कर उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाये, संयोग यह रहा कि 29 प्रपोज़लकर्ताओं में से 22 प्रपोज़लकर्ता ही इस संयुक्त संशोधित प्रपोज़ल में सम्मिलित हुए शेष 7 में से 1 ही व्यक्ति द्वारा 2 प्रपोज़ल प्रस्तुत किये गये थे इस प्रकार 6 प्रपोज़लकर्ता संयुक्त संशोधित प्रपोज़ल के साथ सम्मिलित नहीं हुए इस सम्बन्ध में **Interdepartmental Committee** ने अपनी कार्यवाही में इसपर टिप्पणी भी की है।

Interdepartmental Committee द्वारा 27 मई 2019 की कार्यवाही जो भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा 3 जुलाई, 2019 को जारी की गयी उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया, जैसाकि हम लगातार लिखते रहे हैं कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिए तत्पर है सरकार ने 13 अगस्त, 2019 को एक और पत्र जारी कर संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ताओं से मात्र 2 बिन्दुओं अर्थात औषधि निर्माताओं एवं काउन्सिलों की जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिग्री/प्रमाणपत्र जारी करती हैं की जानकारी चाही है 13 अगस्त को ही एक अन्य पत्र जो 6 प्रपोज़लकर्ताओं के नाम जारी किया उनसे भी सन्दर्भित बिन्दुओं पर ही साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा, सरकार द्वारा 13 अगस्त, 2019 द्वारा वांछित बिन्दुओं की पूर्ति हेतु बैठकों का दौर शुरू हुआ इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप लगाये जाने का दौर भी शुरू हुआ।

सरकार द्वारा वांछित बिन्दुओं की पूर्ति के लिए जहां एक ओर देश में पूरी तत्परता एवं तन्यमयता के साथ संस्थाओं ने साक्ष्य एवं आंकड़े एकत्र करने के लिए गतिविधियां तेज़ कर दी हैं वहीं सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार संयुक्त प्रपोज़लकर्ताओं के कुछ सदस्य यूरोप के दौरे पर गये हुए हैं जहां से वह **Country of origin** में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अद्यतन स्थिति के साथ साथ यूरोप के देशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा चिकित्सा एवं औषधि निर्माण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर **Interdepartmental Committee** को उपलब्ध करायेंगे जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता सुगमता से प्राप्त हो सकेगी।

संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ता तथा प्रपोज़लकर्ताओं का दूसरा समूह अपने अपने स्तर से औषधि निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा वांछित की पूर्ति समुचित ढंग से करने का प्रयास करेंगे तथा देश में संचालित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बोर्ड/काउन्सिल तथा उनसे सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं जहां शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर कार्य सम्पादित हो रहा है उनकी सूची यथा उचित ढंग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

इसी के साथ उन लोगों से भी अपेक्षा है कि जो **Interdepartmental Committee** तथा सरकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की जानकारी हेतु अनावश्यक लिखापढ़ी कर कार्य में बाधा डाल रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अनावश्यक लिखा पढ़ी नहीं करें

यह कैसी सोच हो गयी है

पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जिस तरह के विचार आ रहे हैं ऐसे विचार न तो विचार करने वाले व्यक्ति का भला कर सकते हैं और न ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, दूसरे शब्दों में यदि इसे परिभाषित किया जाये तो उसका भाव यही निकलता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्ता–धर्ताओं की सोच विवेकहीन हो चुकी है, यह बात सच है कि वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बार फिर से सन्नाटे की ओर कदम बढ़ा रही है, क्योंकि जिस प्रकार की गतिविधियां इलेक्ट्रो होम्योपैथी में संचालित की जा रही हैं वह कहीं से भी उचित नहीं कही जा सकती हैं इसका एकमात्र कारण यह है कि आजके जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नेतृत्वकर्ता हैं उनका मनोबल इतना गिर चुका है कि उन्हें प्रगति का कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है परिणामोंस्वरुप ऐसे लोगों ने निश्चय कर लिया है कि जब तक जो अर्जित हो सके उसका तत्काल अर्जन कर लिया जाये इसके लिये मार्ग चाहे जो भी चुनना पड़े और यही लघु मार्ग इलेक्ट्रो होम्योपैथी को दूरगामी नुकसान पहुँचा सकता है।

इन दिनों इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये राजस्थान मॉडल के कानून की बहुत तेज़ी से वकालत की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि राजस्थान की तरह ही राज्यों में कानून बनवाने की पहल की जाये, ऐसे लोगों को सम्भवतः यह नहीं ज्ञात है कि राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया कानून अभी तक प्रभावी नहीं हो पा रहा है और निकट भविष्य में प्रभावी होने की सम्भावना भी नहीं है।

इसी प्रकार अनेकों बार लोक सभा व राज्य सभा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये गैर सरकारी बिल की काफी चर्चा रही, बिल सदन में पास होगा कि नहीं होगा इसपर भी कोई विचार नहीं किया गया और इस बिल का इतना प्रचार कर दिया गया कि ऐसा लगने लगा था कि बिल आते ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल जायेगी और सारे कष्ट दूर हो जायेंगे, बिल की वास्तविकता को कभी भी नहीं बताया गया जिससे हमारा सीधा सादा चिकित्सक असमंजस्य की स्थिति में पड़ गया, बार–बार लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश होने की चर्चा की जाती थी इन्हीं सब बातों को सुनकर किसी जागरूक इलेक्ट्रो होम्योपैथ ने अपने नेतृत्वकर्ता से प्रश्न कर डाला कि यदि बिल पास नहीं हुआ तो क्या होगा ?इस सवाल का बेतुका सा जवाब आया बिल नहीं पास होगा तो कोई बात नहीं कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करने वाले सांसदों को तो यह पता लग ही जायेगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है और यह चिकित्सा पद्धति भी मान्यता के लिए संघर्षरत है, जब कि सच्चाई यह है कि जब भी कोई बिल गिरता है तो यह संदेश जाता है कि सरकार इस विषय को जानना तो दूर सुनना तक नहीं पसन्द करती है, दूसरा बिन्दु यह भी है कि यदि बिल को मात्र प्रचार के लिए या गर्मी बनाये रखने के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक लटकाया गया तो उस बिल की महत्ता स्वतः ही समाप्त हो जाती है इसलिए इस तरह के अविवेकपूर्ण विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कभी भी भला नहीं कर सकते हैं अपितु यह दुष्परिणाम अवश्य दे देते हैं ।

किसी कार्यक्रम को किसी मंत्री के कार्यालय में आयोजित कर खुद तो महिमामण्डित हो सकते हैं लेकिन समाज को इसका क्या लाभ होगा ?यह तो वही लोग जानते हैं जो कि इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं, अजीब सी विडम्बना है कि कल तक जो स्वयं राष्ट्रीय नेतृत्व करते थे वर्तमान परिस्थितियों से इतना डरे हुए हैं कि दूसरे की बैसाखी का सहारा लेकर अपने आप को चमकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जो सितारा स्वयं उधार की रोशनी से प्रकाशित होने का प्रयास कर रहा हो वह दूसरे को कितना सहारा देगा ?अब तो लोग बाग स्वयं अनिश्चय में हैं कि इधर जायें कि उधर जायें।

यह बात सर्वविदित है कि 25–11–2003 के निर्देशानुसार अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में कोई अवरोध नहीं है आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पास प्रैक्टिस के सारे अधिकार हैं हमें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो लोग भटकाव पैदा कर रहे हैं उनसे हमें दूर रहना होगा क्योंकि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास का जो रथ आगे बढ़ चुका है वह रूक नहीं सकता।

वास्तविकता के साथ सपने देखें

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सपनों से बहुत बड़ा सम्बन्ध है सपनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी शुरू होती है और जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जुड़े रहते हैं तब तक स्वप्नलोक में विचरण करते रहते हैं, समान्यतयः हर माता पिता का यह स्वप्न होता है कि उसका पाल्य डाक्टर या इंजीनियर बने इसके लिए वह प्रयास भी करता है, सफल हो जाये तो अच्छी बात है।

हमारे देश में यह आम बात है कि जो एलोपैथी का चिकित्सक बने वही डाक्टर है बाकी सब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं अन्य देशों की बात अलग है जहाँ बालक या बालिका अपनी क्षमता व इच्छानुसार अपने जीवन यापन के व्यवसाय का चयन करता है और उसी में सफल होकर श्रेष्ठता का प्रर्दशन करता है परन्तु भारतवर्ष में अभी भी अभिभावक की मर्ज़ी से ही व्यवसाय का चयन होता है, बालक या बालिका में प्रतिस्पर्धा पार करने की क्षमता हो या न हो पर अभिभावक यही चाहता है कि उसका पाल्य उसकी इच्छा का सम्मान करे और जो वह चाहता है उसी क्षेत्र में जाये, जब नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाता तब माता पिता अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पाल्य का प्रवेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी में करा देता है और यहीं से शुरू होती है सपनों की रंगीन दुनियाँ, माता पिता सपना देखते हैं कि उसका पाल्य चिकित्सक बन जायेगा और जो सपना पूरा करने वाला है बालक या बालिका वह अपने भविष्य के रंगीन सपने देखने लगता है कि चार या पांच वर्ष के बाद वह डाक्टर बनकर निकलेगा समाज में सम्मान अर्जित करेगा, प्रवेश लेते ही उसके सपनों में पंख लग जाते हैं वह स्वर्णिम भविष्य की अच्छी कल्पनाओं में खो जाता है, वह मन ही मन इतना प्रसन्न होता है कि अब वह अपनी सारी इच्छायें पूरी कर लेगा, आवश्यकताओं की वस्तुओं के साथ–साथ सुविधाभोगी वस्तुयें भी अपने लिए अर्जित कर लेगा, परन्तु धीरे–धीरे, जैसे–जैसे समय बीतता है तब वह मान्यता के सपनों में खो जाता है, यह तो अच्छी बात है कि कुछ लोग यह स्पष्ट बता देते हैं कि अभी इस पद्धति को मान्यता नहीं मिली है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पता नही क्या–क्या कह देते हैं ! और इसी क्या–क्या की उधेड़बुन में नव प्रवेशी जो पुराना हो चुका होता है काफी कुछ सपने देख चुका होता है, आन्दोलन की राह पर चलता है रोज़ नई कल्पनायें बनती बिगड़ती हैं और इसी कल्पना लोक में विचरण करते हुए वह अपना कोर्स तक पूरा कर लेता है, अब उसके सामने दायित्व होता है कि वह अपने भविष्य का निर्माण कैसे करे ?इसी भविष्य के निर्माण के लिए वह सबकुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिये चिकित्सकीय चकाचौंध में फंसकर बहुत कुछ जल्दी जल्दी पाने की अपेक्षा में उसका रूझान एलोपैथी की तरफ़ हो जाता है।

उसके इस रूझान से उसका तो भला हो जाता है परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला नहीं हो पाता, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भले के लिए आवश्यकता है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे चिकित्सक अपनी ही विधा से चिकित्सा व्यवसाय करें और रोगियों को स्वस्थ्यता प्रदान करें इससे चिकित्सक को आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है और वह अपनी पूरी क्षमता से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का समर्थक भी हो जाता है किसी एक चिकित्सक की प्रगति को देखकर उसके साथियों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि वह भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का शुद्ध चिकित्सक बने।

अपनी विधा को अपनाकर भी सपने पूरे किये जा सकते हैं यह आवश्यक नही है कि सपनों को पूरा करने के लिए हम दूसरों के कन्धों का सहारा लें क्योंकि इस सत्य को हमें कभी नहीं भूलना चाहिये कि दूसरा कन्धा कितना भी मज़बूत क्यों न हो लेकिन वह जीवन भर का सहारा नहीं होता है।

आज के परिदृश्य में जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बड़ी तेज़ी के साथ प्रगति के रास्ते पर चल रही है जिस शासकीय संरक्षण की हम वर्षों से बाँट जोह रहे हैं, धीरे–धीरे हमारी वह इंतेज़ार करने की सीमा समाप्त होने जा रही है केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जो सकारात्मक रूख इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए दिखाया जा रहा है वह हमारी आशाओं को बल प्रदान करने वाला है, यह निर्विवाद सत्य है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ सपने देखे जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति निरन्तर प्रयास करता है, कुछ भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो प्रथम प्रयास में ही लक्ष्य भेद लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें लक्ष्य पाने के लिए बार–बार प्रयास करने पड़ते हैं और यदि आदमी प्रयास करे तो सफ़लता प्राप्त होती ही है जब सफ़लता नहीं मिलती है तो हमें अवसर भी मिलता है कि हम अपनी विफ़लता का विश्लेषण करें और जो कमियां प्राप्त हों उन्हें दूर करने का प्रयास करें बहुत सम्भव है कि इस मार्ग में चलते हुए हमारे सपनों को कुछ देर के लिए ठहरना भी पड़े लेकिन यह ठहराव ज़्यादा लम्बा नहीं होता है यदि हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो निश्चित रूप से हमें भी भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से मज़बूत व परिपक्व भी होना पड़ेगा।

समय की गति निरन्तर आगे बढ़ रही है, समय जितना व्यतीत होता जायेगा प्रतिस्पर्धा उतनी ही कठिन होती जायेगी क्योंकि जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं वहां काम भी हो रहा है, शोध भी हो रहे हैं, सरकारी सहयोग व समर्थन भी मिल रहा है, उनके कार्यों का मूल्यांकन भी हो रहा है परन्तु हम इलेक्ट्रो होम्योपैथों को इन सारी व्यवस्थाओं को पार करना है काम भी बहुत करना है, शोध के रास्ते ढूंढने हैं, सरकारी सहयोग व समर्थन तो मिल रहा है पर हम उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं और जो कार्य हो रहा है उसका वास्तविक मूल्यांकन भी नहीं हो रहा है परिणामतः हमारे कार्यों में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है एक ही ढर्रे पर चलते रहने का समय कब का गुज़र चुका है नित्य नये हो रहे प्रयोगों के मध्य यदि हमें अपनी उपस्थिति रखनी है तो समानान्तर तो नहीं परन्तु कार्य तो करने ही होंगे, साधनों का अभाव नहीं है हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है अगर आवश्यकता है तो मनोबल के बढ़ाने की, मात्र सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को पूरा करने के लिए अवसर भी हमें ही तलाशने हैं और इन अवसरों को सही उपयोग करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति को मज़बूत करना है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मज़बूत होने की बात होती है तो हमारे साथी ही कहने लगते हैं कि क्यों सपने दिखा रहे हो ! जबकि सत्य यह है कि जो सपना देखता है वही आगे बढ़ता है, अपने आस पास मात्र सपनों के जाल बिछाने से काम नहीं चलता काम चलाने के लिए काम करना पड़ता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता या नियमितीकरण दोनों ही स्थिति में सरकार आपके कार्यों को देखेगी और कार्य भी ऐसे हों जिनका कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो, सुरक्षित होना दवाओं की गुणवत्ता दर्शाती है और यही गुणवत्ता हमारी प्रमाणिकता है जब रोगी हमारी दवाओं से ठीक होंगे और रोग मुक्त होंगे तो रोगी स्वयं मुक्तकंठ से आपकी और आपकी पद्धति की प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा के लिए हर वह उपाय हमें करने हैं जो हमारे बस में है सरकार की नीतियों में बदलाव तो सरकार लाती है, हमारे बस में इतना है कि हम अपने कार्य से सरकार को इतना प्रभावित कर दें कि सरकार हमारी योग्यता और प्रतिभा को देखकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपनी स्वास्थ नीति में समाहित करने के लिए विवश हो जाये।

कहने में तो यह स्वप्न जैसी बात लगती है लेकिन अपने सपनों को धरातल पर यर्थाथ व मूर्तरूप हम और हमारे साथी ही देते हैं।

सपने देखना सबको अच्छा लगता है और यदि सपने रंगीन हों तो कहना ही क्या ! सपनों की दुनिया का रंग अलग होता है सपनों में होना, सपनों में रहना, सपनों का हसीन होना यह सपनों की विचित्र दुनिया है।

तो क्यों न हम काम करते हुए हर सपने को पूरा करें।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवे परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष **M.B.E.H.** तीन वर्ष – इण्टरमीडियेट जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष **P.G.E.H.** दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

A.C.E.H. एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत, सूचीकृत चिकित्सक)

प्रवेश व परीक्षा का कैलेण्डर

F.M.E.H. & A.C.E.H. की परीक्षायें सेमेस्टर वाइज़ वर्ष में 4 बार होंगी जो इस प्रकार है :– March , June , September and December

F.M.E.H. / A.C.E.H. Semester Cycle.

Enrolment	Examination	Result
Up to 30th. January	Last Week of June	Last week of July
Up to 30th. April	Last Week of September	Last week of October
Up to 30th. July	Last Week of December	Last week of January
Up to 30th. October	Last Week of March	Last week of April

M.B.E.H. , G.E.H.S & P.G.E.H. Annual Cycle

Enrolment	Examination	Result
Up to 30th. July	March	Last week of April

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 9335916076
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	Dr. M.A. Idrisi, 9451274526
5	Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9935870799
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 842396191
10	Electro Homoeopathic Medical Insitute Jalaun, 2/55 Awas Vikas Colony, Jalaun	Dr. Savitri Devi	Kuldeep Singh, 9451542329
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
12	Mau Electro Homoeopathic Medical Insitute, Prem Nagar Chakiya(Chiraiya Kot Road), Mau	Dr. Ramesh Upadhyay	Dr. Iftekhar Ahmad,9616675062
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 9415758906
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmanshah, Near Charkhamba,Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Ri	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddharth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	9415669294
18	Bundel Khand Electro Homoeopathic Medical Institute, Campus Shri Lakhan Smarak Kanya Jr.H. School 1363 Y-4 Dhobin Pulia, Hanumant Vihar, NaubastaKANPUR	Dr. Pramod Kumar singh 9307199994	Mr. Rahul Bajpai, 9650466359

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9936131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
54	Dr. Hari Singh	Nagla ParamSukh, Etmadpur	AGRA	9359350670	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	7007352458	
58	Dr.Brajesh Kumar Sharma	Shanti Devi Electro Homoeopathic Study Centre, Borna	ALIGARH	9416855688	Dr. Ram Babu Singh 9416855688
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	7417775346	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	9936769580	mpsr31@gmail.com
65	Smt. Varsha Patel	Banarsi Dham, Bindki	FATEHPUR	8853961545	

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES OF OTHER STATES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
81	Dr. Devendra Singh	374/4 Shaheed Bhagat Singh Colony	DELHI-110090	9873609565	
82	Dr. Pankaj Kumar	Kaithi, P.S. Chauthan	KHAGARIA-85120I	7549417934	

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
93	Dr. Rajesh	Garh Mukteshwar	HAPUR	8958961964	

Registrar

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पीछे कर रहे हैं नित्य नये प्रयास

इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ा हर व्यक्ति इस प्रयास में लगा है कि किसी भी तरह से इस चिकित्सा पद्धति को एक स्थायी स्थान प्राप्त हो, जिससे वर्षों से चली आ रही दुविधा की स्थिति को विराम मिल सके वैधानिकता के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हो और शासकीय संरक्षण की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी हो यह सारी बातें धीरे–धीरे पाने के प्रयास में हम सभी लगे हैं परन्तु तरीके अलग–अलग हैं, तरीके कितने भी अलग क्यों न हों परन्तु जब उद्देश्य एक होता है तो अच्छे परिणाम की अपेक्षा तो की ही जा सकती है तमाम सारे उहापोहों के बाद अन्ततः 21 जून, 2011 अवं 04 जनवरी, 2012 को क्रमशः भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किये वह पूरे देश में कार्य करने की अधिकारिता प्रदान करते हैं और 4 जनवरी, 2012 का आदेश विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में वैधानिकता एवं अधिकार पूर्वक कार्य करने की मार्ग प्रशस्त करता है काम करने के वे सारे अधिकार हमें प्रदान करता है जो किसी भी अधिकारिक चिकित्सक के लिए आवश्यक है।

आज पूरे देश की स्थिति यह है कि कार्य करने के स्थान पर मान्यता और अन्य विषयों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं प्रयास करना आवश्यक है क्योंकि बिना प्रयास के कभी कुछ मिलता नहीं है लेकिन कभी–कभी अति उत्साहित लोग ऐसा प्रयास कर देते हैं जो आत्मघाती होने के साथ साथ समाजघाती भी होते हैं।

बायें से बैठे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाई) के सेक्रेट्री जनरल प्रभारी डा0 मो0 इदरीस खान, डा0 देवेन्द्र सिंह, डा0 पी0 के0 दास व डा0 एम0 एच0 इदरीसी एवं पीछे खड़े डा0 पी0 के0 दास के पी0 एस0 ओ0 – छाया गजट

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जितने भी प्रयास हो रहे हैं यदि उसपर हम एक सम्यक दृष्टि डालें तो जो कुछ भी तथ्य सामने आते हैं वह कदाचित हमें उत्साहित नहीं करते, अधिकांश प्रयास तो स्वयं को स्थापित करने के लिए हो रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए नहीं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि अच्छी खासी बनी बनायी स्थिति डगमगा रही है, खुद अधिकार पाने का स्वाद लोगों को इतना अच्छा लगता है कि समान्य अधिकारों से उनकी क्षुधा शान्ति नहीं होती है जिजीविषा की स्थिति यह है कि अपने अलावा कोई अन्य दृष्टिगोचर ही नहीं होता है जबकि सत्य यह है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति पर किसी एक का एकाधिकार होता ही नहीं है जब चिकित्सा पद्धति का प्रचार व प्रसार होता है तो वह अधिकार अंशों में बंटकर हर चिकित्सक को प्राप्त होता है पूर्ण अधिकार और एका–धिकार दोनों ही शब्द किसी भी चिकित्सा पद्धति को आगे तक नहीं ले जा सकते, कारण एकाधिकार अहं को जन्म देता है और जहां अहं होता है वहां विकास या प्रगति की कल्पना दिव्य स्वप्न की भाँति है, किसी भी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं पहली पद्धति की वैधानिकता व उसकी अधिकारिता दूसरी चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता, उपयोगिता का सिद्धीकरण उसकी औषधियों और रोगियों के लाभ पर निर्भर करती है, यद्यपि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दोनों बातें बराबर रूप से उपस्थिति हैं वैधानिकता और अधिकारिता के नाम पर 21 जून, 2011 व 4 जनवरी, 2012 जैसे राष्ट्रीय व प्रादेशिक शासकीय आदेश प्राप्त हैं औषधियों के लिए बहुत पहले ही यह सिद्ध हो चुका है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियां जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया से संलिप्त हैं और उनके निमार्ण में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है यह औषधियां वैधानिकता और तथ्यता की कसौटी पर खरी उतर चुकी हैं, परिस्थितियां साम्य हैं परन्तु हमारे साथियों को इन परिस्थितियों की स्वीकारता नहीं है, तभी तो हर कोई कुछ नया करने को आतुर है और इसी नये पन के चक्कर में कुछ ऐसा कर रहा है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कतई उचित नहीं है, यद्यपि वर्तमान में कुछ ही संस्थायें शैक्षणिक कार्य कर पा रही हैं जो संस्थायें शैक्षणिक कार्य नहीं कर रही हैं वह तरह–तरह के अजीबो–गरीब व ऐसे कार्य कर देती हैं जो परिस्थितियों में नया मोड़ दे देती हैं, आपको याद होगा कि जब पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर गाज सी गिरी थी उसके बाद किसी एक संस्था को कार्य करने का आदेश प्राप्त हुआ था यद्यपि उस संस्था ने कभी भी इसपर अपना एकाधिकार नहीं जमाया उसका कहना था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिए, लेकिन जो पहले से कार्य कर रहे थे उनके मन में कहीं न कहीं यह टीस थी कि एक आदेश उन्हें या उनकी संस्था को भी मिल जाता, जिससे वह भी अपनी अधिकारिता का बखान कर सकते, इसी चाहत में न्यायालय की शरण में गये और न्यायालय में हारे, तब सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली, उनका भाग्य था कि मान्यता के प्रकरण में भारत सरकार ने एक हल्फनामा दिया था जिसमें लिखा था कि जब तक मान्यता नहीं मिल जाती तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में कोई रोक नहीं है सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के इस हल्फनामे का संज्ञान लिया और योजित विशेष अनुज्ञा याचिका पर निर्णय दे दिया, जिसका हमारे साथियों ने गलत ढंग से प्रस्तुतीकरण करके अपने पक्ष में हवा बनाने का पूरा प्रयास किया इसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली यह आदेश जो वस्तुतः किसी के लिए आदेश नहीं है लेकिन इसकी शब्दावली का लोगों ने मनचाहा उपयोग किया, अब जब भी कहीं मुकदमा लगता या लगाया जाता है तो उस मुकदमें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का उल्लेख अवश्य होता है, न्यायालयों द्वारा इस आदेश का जो संज्ञान लिया जा रहा है वह कोई अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है।

जिस प्रकार किसी भी वस्तु का अत्यधिक दोहन उसकी समाप्ति का संकेत देता है, इसी प्रकार इस आदेश का अत्यधिक प्रयोग एक नई समस्या को जन्म दे सकता है, यदि कभी इस आदेश का परीक्षण हो गया तो परिणाम क्या होंगे ! यह तो हम नहीं जानते परन्तु कल्पना कदापि अच्छी नहीं है, ठीक इसी प्रकार से दूसरा पहलू औषधि निर्माण से जुड़ा है पहले औषधि की कमी बतायी जाती थी आज कितनी ही कम्पनियां औषधि निर्माण के क्षेत्र में कूद चुकी हैं कि कभी–कभी ऐसा लगने लगता है कि शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों का निर्माण एक कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है जिसे भी देखिये एक कम्पनी बना लेता है और औषधि निर्माण और विपणन का कार्य प्रारम्भ कर देता है।

दवाईयां बनाना बेचना उनकी गुणवत्ता बनाये रखना अच्छी बात है, प्रगति का सूचक भी है, लेकिन जब औषधि निर्माण के सिद्धान्तों के साथ छेड़–छाड़ की जाती है तो स्थितियां बहुत दिनों तक अपने पक्ष में नहीं रह पातीं हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्पेजेरिक बनाने की अपनी एक अलग विधि है आज इससे ही छेड़–छाड़ हो रही है नये के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है वह इस तरफ सोचने को विवश करता है कि नये पन का यह प्रयास कहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये घातक न हो।

डा0 मुख्तार अहमद इदरीसी नहीं रहे

प्रतापगढ़– इन्दिरा गाँधी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट के संस्थापक, संचालक व प्रधानाचार्य हम सभी को छोड़कर दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 को मालिके हकीकी से जा मिले, उनकी मगफिरत के लिये गजट परिवार दुआ करता है।